राजस्थान सरकार

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 25 NOV 2021

आदेश

इस विभाग के सम संख्ययक आदेश दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 14 के सामान्य बिन्दु (ii) की अनुपालना में राज्य स्तरीय समिति का गठन निम्न प्रकार किया जाता है–

1.	प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग	अध्यक्ष
2.	शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग	सदस्य
3.	निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग।	सदस्य सचिव (निदेशालय के प्रकरणों हेतु)
4.	संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग।	सदस्य सचिव (नविवि के प्रकरणों हेतु)
5.	वित्तीय सलाहकार, स्वायत्त शासन विभाग।	सदस्य (निदेशालय के प्रकरणों हेतु)
6.	वित्तीय सलाहकार, जयपुर विकास प्राधिकरण।	सदस्य (नविवि के प्रकरणों हेतु)
7.	निदेशक विधि, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग।	सदस्य (निदेशालय के प्रकरणों हेतु)
8.	उप विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग	सदस्य (नविवि के प्रकरणों हेतु)
9.	सम्बन्धित प्राधिकरण/न्यास/नगर निगम/परिषद/पालिका का आयुक्त/सचिव/अधिशाषी अधिकारी	सदस्य (संबंधित प्रकरणों हेतु)

सम्बन्धित निकाय अपने क्षेत्राधिकार में लघु अवधि लीज/किराये पर दी गई सम्पत्तियो के समसंख्यक आदेश दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 14.1 व 14.2 के अनुसार 750 वर्ग मीटर तक एवं 750 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल की सूचियॉं अलग–अलग तैयार की जावे। 750 वर्ग मीटर तक की सम्पत्तियों का निस्तारण स्थानीय स्तर पर गठित एम्पावर्ड समिति द्वारा किया जायेगा। 750 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल की सम्पत्ति का परीक्षण स्थानीय एम्पार्वड समिति द्वारा किया जाकर प्रकरण राज्य स्तरीय समिति के समक्ष सम्पूर्ण तथ्यों व निकाय के स्पष्ट अभिमत के साथ भिजवायें जायेगे। राज्य स्तरीय समिति द्वारा अपनी अभिशंषा माननीय मंत्री नगरीय विकास विभाग को भेजी जावेगी। मंत्री महोदय के अनुमोदन के पश्चात अनुमति जारी की जावेगी।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है

(भवानी सिंह देथा)
शासन सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

(कुंजी लाल मीना)
प्रमुख शासन सचिव
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

Scanned with CamScanner

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन सचिव, जयपुर।
5. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग।
6. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान।
9. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
10. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
11. वरिष्ठ शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

Scanned with CamScanner